प्रेस विज्ञप्ति

16-01-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्ववर्ती **मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड** के बैंक धोखाधड़ी मामले में 442.85 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अनेक अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में डीएलएफ छतरपुर [12,000 वर्ग गज] में एक फार्महाउस, वसंत विहार और पंजाबी बाग में आवासीय संपत्तियां और करनाल और मोहाली में कई आवासीय भूखंड शामिल हैं। उक्त संपत्तियों का स्वामित्व क्वालिटी लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा के पास डमी कंपनियों के माध्यम से था। उक्त प्रमोटरों के ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड ऐसी कंपनियों में निदेशक थे।

ईडी ने बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा के खिलाफ सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड दूध, आइसक्रीम और विभिन्न डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि क्वालिटी लिमिटेड ने अपने पूर्व निदेशकों के माध्यम से बिक्री, खरीद, देनदारों और लेनदारों के बारे में गलत जानकारी देकर बही खाते में जालसाजी करते हुए बैंकों के संघ को धोखा दिया। प्राथमिकी के अनुसार, बैंक धोखाधड़ी 1400.62 करोड़ रुपये की है।

ईडी की जांच से पता चला कि तत्कालीन प्रमोटरों/निदेशकों ने अधिक बिक्री और देनदारियों को दिखाने के लिए बही खाते में हेराफेरी की। फैक्ट्री परिसर में वास्तविक भौतिक डिलीवरी या माल की रसीद के बिना भारी मात्रा में व्यापार [बिक्री/खरीद] किया गया। यह भी पाया गया कि बैंक की धनराशि को विपथित करने के लिए आरोपित/डमी मालिकों के माध्यम से संचालित फर्जी कंपनियों/फर्मों का इस्तेमाल किया गया था। बताए गए तरीके से विपथित धनराशि को प्रसारित किया गया, स्तरित किया गया ताकि इसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके और प्रमोटरों के निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा इच्छित उद्देश्यों के इतर अलग-अलग खातों में भेजा गया।

ईडी ने इससे पहले 27-11-2024 को क्वालिटी लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटरों से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और प्रमोटरों द्वारा कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। बेनामी और डमी कंपनियों के नाम पर खरीदी गई लगभग 4 करोड़ रुपये की खरीद मूल्य वाली पोर्श, मर्सिडीज,

बीएमडब्ल्यू आदि जैसी महंगी लग्जरी कारें भी तलाशी के दौरान मिलीं और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा लगभग 2.5 करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाले डीमैट खाते भी फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच जारी है।